

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 6 अगस्त, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 742(अ), तारीख 6 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 67/2018-Central Tax

G.S.R. 1244(E).— exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.31/2018-Central Tax, dated the 6th August, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 742(E), dated the 6th August, 2018, namely :

In the said notification, in paragraph 2,-

- (i) in clause (i), for the figures, letters and word “31st August, 2018”, the figures, letters and word “31st January, 2019” shall be substituted;
- (ii) in clause (iv), for the figures, letters and word “30th September, 2018”, the figures, letters and word “28th February, 2019” shall be substituted.

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

DR. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Note : The principal notification No. 31/2018 – Central Tax, dated the 6th August, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 742(E), dated the 6th August, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

सं. 68/2018- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1245(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर –

(i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि.997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 21/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 में ; और

(ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्याक सा.का.नि.1412(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 56/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 में,

में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचनाओं के पहले पैरा के परंतुक में “जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018” और “31 दिसंबर, 2018” शब्दों, अंकों के स्थान पर क्रमशः “जुलाई, 2017 से फरवरी, 2019” और “31 मार्च, 2019” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्यांक 21/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्याक 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ; और